संख्या-44 /2026/।-1274471/एस0-46/001-38-2002-001-2-2023

प्रेषक,

रजनीश चन्द्र,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
दीनदयाल उपाध्याय,
राज्य ग्राम्य विकास संस्थान,
बक्शी का तालाब, लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-2 **लखनऊः दिनांक 20 मार्च, 2026**

विषयः जनपद कौशाम्बी, जनपद-श्रावस्ती, जनपद-सोनभद्र, जनपद-चित्रकूट में जिला ग्राम्य विकास संस्थान के अनावासीय/आवासीय भवनों के निर्माण हेतु धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक 865/प्रशि0-स्था0-दो-1(253)/2024-25(कौशाम्बी), दिनांक 13 मार्च 2025, पत्रांक 864/प्रशि0-स्था0-दो-1(253)/2024-25(श्रावस्ती), दिनांक 13 मार्च 2025, पत्रांक 863/प्रशि0-स्था0-दो-1(253)/2024-25(सोनभद्र), दिनांक 13 मार्च 2025 एवं पत्रांक 872/प्रशि0-स्था0-दो-1(253)/2024-25(चित्रकूट), दिनांक 17 मार्च 2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा क्रमशः जनपद कौशाम्बी, जनपद-सोनभद्र, जनपद-श्रावस्ती, जनपद-चित्रकूट में जिला ग्राम्य विकास संस्थान के अनावासीय/आवासीय भवनों के निर्माण हेतु मानकीकृत लागत रू0 3078.40 लाख की निर्गत प्रशासकीय स्वीकृति विषयक शासनादेश संख्या-।/867821/2025-एस-285/38-2-2024, दिनांक 31 जनवरी 2025 के सापेक्ष द्वितीय किश्त की धनराशि अवमुक्त किये जाने हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0	जनपद का नाम	मानकीकृत लागत		पूर्व स्वीकृत प्रथम किश्त की धनराशि	
		अनावासीय	आवासीय	अनावासीय	आवासीय

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1	कौशाम्बी	2527.71	550.70	884.698	125.00
2	श्रावस्ती	2527.71	550.70	884.698	125.00
3	सोनभद्र	2527.71	550.70	884.698	125.00
4	चित्रकूट	2527.71	550.70	884.698	125.00
			कुल योग	**3538.792**	**500.00**

2- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्नानुसार सारणी में अंकित जनपद कौशाम्बी, जनपद-श्रावस्ती, जनपद-सोनभद्र, जनपद-चित्रकूट में जिला ग्राम्य विकास संस्थान के अनावासीय भवनों के निर्माण के लिए प्रत्येक जनपद हेतु धनराशि रू0 884.698 लाख (कुल धनराशि रू0 3538.792 लाख) तथा जनपद कौशाम्बी, जनपद-श्रावस्ती, जनपद-सोनभद्र, जनपद-चित्रकूट में जिला ग्राम्य विकास संस्थान के आवासीय भवनों के निर्माण के लिए प्रत्येक जनपद हेतु धनराशि रू0125.00 लाख (कुल धनराशि रू0 500.00 लाख) की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय एतदद्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0	जनपद का नाम	मानकीकृत लागत		द्वितीय किश्त हेतु स्वीकृत धनराशि	
		अनावासीय	आवासीय	अनावासीय	आवासीय
1	कौशाम्बी	2527.71	550.70	884.698	125.00
2	श्रावस्ती	2527.71	550.70	884.698	125.00
3	सोनभद्र	2527.71	550.70	884.698	125.00
4	चित्रकूट	2527.71	550.70	884.698	125.00
			कुल योग	**3538.792**	**500.00**

(1) वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृतियाँ निर्गत किये जाने विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27 मार्च,2025 एवं अन्य सुसंगत शासनादेशों/मानकों में प्रावधानित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा और शासनादेश में दिये गये अन्य दिशा निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा शासनादेश संख्या-5/2021/फाइल नं0-65-2013/2/2019-2 दिनांक 15 जनवरी, 2021 के अनुपालन के क्रम में दिव्यांगजन हेतु भवनों को दिव्यांगजन हितैषी/बाधारहित बनाये जाने के लिए भारत सरकार द्वारा निर्गत "Harmonized guidelines

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

and standards for universal accessibility in india, 2021 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार कार्यदायी संस्था द्वारा भवन का निर्माण कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(3) प्रायोजना प्रस्ताव की लागत उ0प्र0, लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता (भवन), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के कार्यालय ज्ञाप संख्या-272 कैम्प/मु0अभि0(भवन)/2023, दिनांक 10 अक्टूबर 2023 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या-294 कैम्प/मु0अभि0(भवन)/2023, दिनांक 26 अक्टूबर 2023 के आधार पर लागू जनपदीय अनुसूची दरों/कास्ट इन्डेक्स फैक्टर के कारण भिन्न हो सकती है।

(4) प्रश्नगत प्रस्ताव का परीक्षण बजट की उपलब्धता के आधार पर किया गया है। प्रश्नगत धनराशि की स्वीकृति किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाईनेंशियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(5) उक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा, जिस बाउचर संख्या एवं जिस तिथि को धनराशि कोषागार से आहरित की जाय, उसका विवरण महालेखाकार, उ0प्र0 एवं महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, लखनऊ एवं शासन को अविलम्ब प्रेषित किया जाय तथा धनराशि के पूर्ण उपयोग की सूचना शासन को उपलब्ध करायी जाय। निर्माण कार्य के वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की सूचना प्रतिमाह महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, लखनऊ को भेजी जाय।

(6) इस धनराशि का उपयोग उसी कार्य के लिये किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है तथा इसे अन्य कार्यों के लिए डाइवर्ट नहीं किया जायेगा, जैसे ही धनराशि का पूर्ण उपयोग हो जाय, उसका उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रेषित कर दिया जाय।

(7) स्वीकृत धनराशि के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27 मार्च,2025 का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्था को जो धनराशि अवमुक्त की जायेगी, वह कार्य की आवश्यकता के अनुसार आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा कोषागार से आहरण कर उपलब्ध करायी जाय तथा कार्यदायी संस्था को पूर्व में दी गयी धनराशि के 75 प्रतिशत का उपभोग करने के उपरान्त अगले तीन-तीन माह के लिए पुनः आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित करके दी जाय।

(8) उक्त निर्माण कार्य स्वीकृत लागत से निर्धारित समयावधि में ही पूरे किये जायेंगे। इस हेतु कोई अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत नहीं की जायेगी।

(9) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी भी दशा में पी0एल0ए0/बैंक में नहीं रखा जायेगा।

(10) स्वीकृत की जा रही धनराशि जिस मद/कार्य हेतु दी जा रही है उसी मद/कार्य में ही व्यय की जायेगी। इसका किसी अन्य मद/कार्य में व्यय अनुमन्य नहीं होगा।

(11) धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित किया जायेगा।

(12) धनराशि एकमुश्त आहरित न करके अपितु आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय हेतु कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(13) कार्यदायी संस्था द्वारा प्रश्नगत धनराशि के व्यय हेतु संगत एवं पूर्व में निर्गत शासनादेशों में निहित व्यवस्था व निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(14) स्वीकृत की जा रही धनराशि से कराये जाने वाले निर्माण कार्यों में क्रय की जाने वाली सामग्री आदि के सम्बन्ध में निर्गत संगत शासनादेशों व वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(15) परियोजना में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन को नियंत्रित करने के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-07/2017/बी-1-823/दस-2017-एम-04/2017, दिनांक 21-06-2017 में दिये गये दिशानिर्देशों तथा शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06-06-1994 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(16) कार्यदायी संस्था द्वारा लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्टयों एवं मानक के अनुसार गुणवत्तापूर्ण कार्य सम्पादित किया जायेगा। निर्माण कार्य निर्धारित मानकों के अनुसार ही हो तथा उसकी गुणवता उत्कृष्ट कोटि की हो. इसकी पूर्ण जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी तथा समय-समय पर स्थलीय अनुश्रवण कर कार्य की गुणवत्ता एवं कार्य निर्धारित समय में पूर्ण हो, यह सुनिश्चित कराये जाने का उत्तरदायित्व महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, लखनऊ का होगा।

(17) प्रस्तावित निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग के शिड्यूल रेट से कराया जायेगा।

(18) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर यदि किसी ऐसे खाते में रखा जाता है जिसमें व्याज अर्जित होता है, तो अर्जित व्याज को निर्धारित लेखाशीर्ष में जमा कराने/गाइडलाइन्स में निहित व्यवस्थानुसार समायोजन/व्यय करने का दायित्व महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, लखनऊ/कार्यदायी संस्था का होगा।

(19) प्रश्नगत निर्माण कार्य में प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा मूल्यांकित प्रस्ताव में निर्धारित शर्तों का अक्षरक्षः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(20) ऑकड़ों की शुद्धता एवं धनराशि की अनुमन्यता की पुष्टि का दायित्व महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, लखनऊ का होगा।

(21) धनराशि के आहरण एवं व्यय के संबंध में मितव्ययिता संबंधी समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं वित्तीय नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय (*1*) रुपये 35,38,79,200 (रुपये पैंतीस करोड़ अड़तीस लाख उनासी हजार दो सौ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 013 **लेखा शीर्षक** 4059010510500 जनपद सोनभद्र, श्रावस्ती, चित्रकूट एवं कौशाम्बी में जिला ग्राम्य विकास संस्थान की स्थापना हेतु प्रशासनिक भवन व छात्रावास **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य (*2*) रुपये 5,00,00,000 (रुपये पाँच करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 013 **लेखा शीर्षक** 4216808000400 जनपद सोनभद्र, श्रावस्ती, चित्रकूट एवं कौशाम्बी में जिला ग्राम्य विकास संस्थान की स्थापना हेतु आवासीय भवन **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक-27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
रजनीश चन्द्र
विशेष सचिव।

संख्या-44 /2026/।-1274471/38-2002-001-2-2023, तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3- श्री चन्द्रिका प्रसाद, उप सचिव/नोडल अधिकारी, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4- मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, लखनऊ।
5. संबंधित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
6- वित्त (आय-व्ययक) अनु0-2/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2/नियोजन अनु0-4
7- ग्राम्य विकास अनुभाग-5/8
8- निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन लखनऊ।
9- अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड लखनऊ।
10- गार्ड बुक।

आज्ञा से.
चन्द्रिका प्रसाद
उप सचिव।

http://shas

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।